न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 298/2022
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88/53 आरटीए

1. जयकोरी पत्नी दलीप राम जाति जाट नि.बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. परमा देवी पत्नी नन्दराम जाति जाट नि. बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. इमरतीदेवी पत्नी हनुमानप्रसाद जाति जाट नि. बोलांवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़

बनाम

वादीगण

1 नरसिंह पुत्र सरवनसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
1/1 बोहड़ सिंह पुत्र नरसिंह जाति जटसिख नि. भगतपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
1/2 सुखपाल सिंह पुत्र नरसिंह जाति जटसिख नि. भगतपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
1/3 अमृतपाल सिंह पुत्र नरसिंह जाति जटसिख नि.भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
2 महेन्द्र सिंह पुत्र सरवनसिंह जाति जटसिख नि.भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2/1 नसीब कौर पत्नी हरबंस सिंह पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख नि.पथराला तहसील व जिला बठिण्डा
2/2 जसवीर कौर पत्नी मेजर सिंह पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख नि.पथराला तह. व जिला बठिण्डा
3 सोहन सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख नि.भगतपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
4 दर्शना देवी पत्नी वीरचन्द जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
5 गुरमीत सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख नि.भगतपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
6 सुखमन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह जाति तरखान निवासी बोलांवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
7 जगदीप सिंह पुत्र सुखमन्द्र सिंह जाति तरखान नि.बोलांवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
8 बलकरणसिंह पुत्र सुखमन्दसिंह जाति तरखान नि बोलांवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
9 जगजीत सिंह पुत्र सरवन सिंह जाति जटसिख नि.भगतपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
10 तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री नरेश मण्डा वकील वादीगण
2— श्री संजय धारणियां वकील प्रति.सख्या 1/1 ता 1/3, 2/1 ता 2/1, 3 ता 5, 9
3— श्री राधे शर्मा— वकील प्रति सं. 6 ता 8
4— तहसीलदार राजस्व संगरिया— राज—पैरोकार प्रति.संख्या 10

निर्णय

दिनांक :— 19.1.2022

अधिवक्ता वादीगण द्वारा संशोधित वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण के नाम से चक 4 एएमपी जमाबंदी सं. 2071—74 के खाता सं. 40/26 में 1.265 है. बहिब चक 15 बीजीपी जमाबंदी सं. 2072—75 के खाता सं. 80/50 में 1.012 है. बहिब व चक 5 एएमपी जमाबंदी सं. 2073—76 के खाता सं. 29/23 में 0.253है. बहिब नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड है। वाद पत्र में प्रतिवादी सं. 1 ता 9 को सह काश्तकार होने के कारण व प्रतिवादी सं. 10 भूधारक होने के कारण पक्षकार के रूप में सयोजित किया गया है। वादीगण अपनी कृषि भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से निर्विवाद रूप से काष्त करते चले आ रहे है। कब्जा काश्त बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। जमाबंदियां की प्रति संलग्न वाद पत्र है। वादीगण के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 एएमपी जमाबंदी सं. 2071—74 के खाता सं. 40/26 में 1.265है. बहिब चक 15 बीजीपी जमाबंदी सं. 2072—75 के खाता सं. 80/50 में 1.012है. बहिब व चक 5 एएमपी जमाबंदी सं. 2073—76 के खाता सं. 29/23 में 0.253है. बहिब नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसका वादीगण खाता विभाजन करवाने के वादीगण अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण ने कृषि भूमि का घरू विभाजन कर रखा है व अपनी कृषि भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से निर्विवाद रूप से काष्त करते चले आ रहे

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

है। कब्जा काश्त बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। घरू विभाजन के अनुसार वादीगण को प्राप्त कृषि भूमि निम्न प्रकार से है

क– वादीगण 1 जयकोरी पत्नी दलीप राम 2. परमा देवी पत्नी नन्दराम 3. इमरती देवी पत्नी हनुमानप्रसाद जाति जाट निवासी बोलांवाली के हक, हिस्सा व कब्जा काश्त की बहिव कृषि भूमि:– चक 4 एएमपी

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
176/146	65	11,19/0.506 है., 20/1/0.250. है. 20/2/0.003 है. गै.मु.रास्ता 21/1/0.202 है. 21/2/0.038 है. गै.मु. रास्ता 21/3/0.013 गै.मु. रास्ता 22/1/0.215 है. 22/2/0.038 है.गै.मु.रास्ता

चक 15 बीजीपी

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
177/147	5	2/1/0.228है. 2/2/0.025है. 3/1/0.228है. 3/2/0.025है. 4/1/0.228है. 4/2/0.025है. 10/0.127है. 11/0.126है.

चक 5 एएमपी

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
175/147	39	5/0.253 है.

वादीगण ने पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण सं. 4 में वर्णित कृषि भूमि का खाता विभाजन करवा देवे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवे तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किंतु अंत में पिछले सप्ताह कतई स्पष्ट इनकार हो गए बस यही वार कारण है। यह कि प्रतिवादी सं. 10 को भू धारक होने के कारण वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया है। यह कि वाद बाबत खाता विभाजन व घोषणा का है जो कि उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अन्दर मियाद है माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

लिहाजा वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे कि वाद पत्र की चरण सं. 4 के खण्ड क के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर रकम राज अलग से कायम की जावे एवं चक 4 एएमपी के वर्तमान खाता संख्या 55/26 में सहकाश्तकार नहर सिह पुत्र सरवन सिह, महेन्द्र सिह पुत्र सरवन सिह, सोहन सिह पुत्र महेन्द्र सिह के नाम कलमजन किया जाकर चक 4 एएमपी के खाता संख्या 55/26 के प. न. 176/146 मु.न. 65 के किला न. 21/1/0.013 है. दक्षिण से उत्तर पत्थर लाईन के चिपते–चिपते व किला नं. 20/0.003 है. मोड़ गै.मु.रास्ता चक 5 एएमपी के प.न. 175/146 मु.न. के किला नं. 16 में प्रवेश हेतु राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता स्वीकृत किया जावें।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3, 2/1 ता 2/2, 3 के अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा पेश नही करने का कथन किये जाने पर इनका जवाब बन्द किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता अपना जवाबदावा मय. काउन्टर क्लेम पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 स्टेट की ओर से जवाब स्टेट प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी जयकौरी ने अपना शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ चक 4 एएमपी खाता संख्या 40/26 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 व चक 15 बी.जी.पी. खाता संख्या 80/50 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 एवं चक 5 ए.एम.पी. खाता संख्या 29/23 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबन्दी पेश की गई। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रकरण में सहमति होने के कारण अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागंण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादीगण व

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
मंगरिया

प्रतिवादीगण आपस मे सहमत है और सहमति का जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम भी पेश हो चुके है एवं वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। तथा वकिल प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने भी वाद पत्र को मुताबिक जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दौरांने बहस दी गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णितानुसार चक 4 एएमपी खाता संख्या 40/26 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 व चक 15 बी.जी.पी. खाता संख्या 80/50 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 एवं चक 5 ए.एम.पी. खाता संख्या 29/23 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में वादग्रस्त आराजी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3, 2/1 ता 2/2, 3 के अधिवक्ता ने जवाबदावा पेश नही किया एव प्रतिवादी सख्या 4 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर अपना हक/हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति हो चुकी है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आंदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 4 एएमपी खाता संख्या 40/26 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 व चक 15 बी.जी.पी. खाता संख्या 80/50 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 एवं चक 5 ए.एम.पी. खाता संख्या 29/23 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 नहरी मय गै.मु.आराजी मे निम्नानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने एवं शेष प्रतिवादीगणों के नाम कलमज़न किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

1. वादीगण 1 जयकोरी पत्नी दलीप राम 2. प्रेमा देवी पत्नी नन्दराम 3. इमरती देवी पत्नी हनुमानप्रसाद जाति जाट निवासी बोलांवाली के हक, हिस्सा व कब्जा काश्त की बहिब कृषि भूमि:– चक 4 एएंमपी

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
176/146	65	11,19/0.506, 20/1/0.250 है. 20/2/0.003 है. 21/1/0.202 है. 21/2/0.038 है. गै.मु. रास्ता 21/3/0.013 है.गै.मु.रास्ता 22/1/0.215 है. 22/2/0.038 है.गै.मु.रास्ता

चक 15 बीज़ीपी

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
177/147	5	2/1/0.228है. 2/2/0.025है. 3/1/0.228है. 3/2/0.025है. 4/1/0.228है. 4/2/0.025है. 10/0.127 है. किला नम्बर 9 के चिपता, 11/0.126 है. किला नम्बर 12 के चिपता,

चक 5 एएमपी

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
175/147	39	5/0.253 है.

प्रतिवादी सुखमन्द्र सिह पुत्र राम सिंह 1.139, जगदीप सिह पुत्र सुखमन्द्र सिह 0.759, बलकरण सिह पुत्र सुखमन्द्र सिह 0.759 है. जाति तरखान निवासी बोलावाली तहसील संगरिया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :–चक 5 एएमपी

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
175/146	38	13 ता 18/1.518 है.
174/147	40	8 ता 11/1.012 है. 12/0.127 है. किला नं. 11 के चिपता

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

3. प्रतिवादी संख्या 5 गुरमीत सिह पुत्र कौर सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :–चक 15 बीजीपी

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
176/147	4	4/1/0.228 है. 4/2/0.025 है. गै.मु.खाला, 5/1/0.202 है. 5/2/0.025है. गै.मु.खाला, 5/3/0.026 है.गै.मु.रास्ता
177/147	5	1/1/0.228 है. 1/2/0.025है. गै.मु.खाला, 10/0.126 है. पत्थर लाईन के चिपते, 11/0.127 है. पत्थर लाईन के चिपता मु.न. 4 कुल 1.012 है.
		चक 5 एएमपी
175/146	38	22/1/0.107 है. 22/2/0.018है. गै.मु.रास्ता किला नं. 23 के चिपते, 23/1/0.215 है. 23/2/0.038है. गै.मु.रास्ता

4. प्रतिवादी संख्या 4 दर्शनादेवी पत्नी वीरचन्द जाति अग्रवाल निवासी संगरिया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :– चक 15 बी.जी.पी.

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
176/147	4	6/1/0.228 है. 6/2/0.025है. 15/1/0.228 है. 15/2/0.025है.
177/147	5	6 ता 9/1.012 है. 12 ता 15/1.012 है. 17 ता 22/1.518 है.

प्रतिवादी संख्या 9 जगजीत सिह पुत्र सरवन सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :– 5 ए.एम.पी

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
173/147	41	16/1/0.127 है. किला नं. 15 के चिपते, 15/0.253 है.

अतः वादीगण की सहमति पर चक 4 एएमपी के प.न. 176/146 मु.न. 65 के किला न. 21/1/0.013 है. दक्षिण से उतर पत्थर लाईन के चिपते–चिपते व किला नं. 20/0.003 है. मोड़ में गै.मु.रास्ता चक 5 एएमपी के प.न. 175/146 मु.न. 38 के किला नम्बर 16 में प्रवेश के लिए स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देश दिये जाते है आप उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना सुनिशिचित करें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 19.1.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया